


राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/19/21114

दिनांक: 19/9/19

आदेश

निर्देशानुसार विभागीय आदेश क्रमांक प.8(क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/19/21095-21104 दिनांक 18.09.19 द्वारा श्री शैलेश परिहार एवं श्री आरिफ खान, एडवोकेट को नगरपालिका आबूरोड में पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया गया था, उक्त आदेश को स्थगित करते हुए आदेश क्रमांक प.8(क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/19/19192-204 दिनांक 29.07.19 द्वारा नियुक्त श्री अवधेशदान देवल, एडवोकेट को नगरपालिका आबूरोड में पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार के पद पर यथावत रखा जाता है।

  
(उज्ज्वल राठौड)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/15/21115-23

दिनांक: 19/9/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. अध्यक्ष/अधिसाधी अधिकारी, नगरपालिका, आबूरोड।
04. श्री अवधेशदान देवल, एडवोकेट मार्फत नगरपालिका, आबूरोड।
05. श्री शैलेश परिहार/श्री आरिफ खान, एडवोकेट मार्फत नगरपालिका, आबूरोड।
06. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
07. सुरक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी